संख्या 790 /XVII-1/2009-04(03)/2009

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

2. निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग--01.

देहरादून, 18 अगस्त 2009.

विषय : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना।

महोदय,

आप अवगत हैं कि सामाजिक विभेद, कुरीति एवं रूढ़िगत परम्पराओं के फलस्वरूप अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दीर्घकाल से पिछड़ा रहा है। यद्यपि संविधान प्रदत्त संरक्षण के प्राविधानों के अन्तर्गत इस वर्ग में जागरूकता पैदा हुयी है एवं शैक्षिक उन्नयन की तरफ इनका रूझान बढ़ा है तथा शैक्षिक स्तर में अभिवृद्धि के परिणाम सामाजिक एवं आर्थिक सुधार के रूप में परिलक्षित होना प्रारम्भ हुआ है तथापि पीढ़ीगत पिछड़ेपन के कारण अभी भी यह वर्ग विकास एवं उन्नति के मामले में समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष नहीं आ पाया है।

वर्तमान में औद्योगिकीकरण, व्यवसायीकरण एवं सूचना तकनीक विकास के मानदण्ड ही नहीं अपितु पर्याय बन गये हैं। आधुनिक बाजार अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है प्रतिस्पर्धा। अर्थात श्रेष्ठ एवं सर्वश्रेष्ठ की मांग। निःसन्देह औद्योगीकरण एवं तकनीकी ने रोजगार के क्षेत्र में नये आयाम जोड़े हैं तथा नई सम्भावनाओं का विस्तार हुआ है किन्तु गुणवत्ता, उत्पादकता और अग्रणी बनने की बाध्यता के फलस्वरूप रोजगार के क्षेत्र में भी अत्यधिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गयी है।

प्रतियोगिता एवं प्रतिस्पर्धा के इस परिदृश्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को अपने आपको स्थापित कर पाना तुलनात्मक दृष्टि से कठिन हो जाता है। फलतः इन वर्गों के उम्मीदवार उपलब्ध अवसरों का अपेक्षित लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसलिये इस वर्ग के उम्मीदवारों,छात्रों में व्यावसायिक कौशल एवं क्षमता के स्तर को ऊँचा उठाना अपरिहार्य आवश्यकता है ताकि वे प्रतियोगिता में उच्च स्थान प्राप्त करते हुए रोजगार के क्षेत्र में उत्पन्न बढ़ोत्तरी का लाभ उठा सकें। व्यावसायिक कौशल एवं क्षमता को विकसित करने के लिए विशेष प्रकार की कोचिंग एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान में इंजीनियरिंग तथा आइ0ए0एस0 एवं पी0सी0एस0 कोचिंग केन्द्र का संचालन किया जा रहा है, किन्तु वर्तमान में शिक्षा एवं उससे जुड़े प्रतियोगिता का स्वरूप भी बदल रहा है। ऐसे में समाज कल्याण द्वारा संचालित कोचिंग योजना के स्वरूप को विस्तारित करना आवश्यक हो गया है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए सिविल एवं एलाइड सेवाओं तथा अभियन्त्रण तथा मेडिकल आदि में प्रवेश हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजनाओं को निम्नलिखित नवीन दिशा--निर्देशों के अनुसार संचालित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है--

योजना के उद्देश्य:--

योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं:--

(अ) अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्रों को तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों यथा: इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून, बायोटेक्नॉलौजी प्रबन्धन, सूचना तकनीक एवं रक्षा सेवा आदि की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग प्रदान करना।

क्रमशः.........2 पर

(ब) राज्य एवं केन्द्र सरकार की समूह क, ख, ग तथा अन्य समकक्षीय सेवाओं जैसे पुलिस सुरक्षा सेवा, निजी एवं सार्वजनिक उपक्रम, रेलवे, बैंक, बीमा कम्पनियों, अधीनस्थ सेवाएं, स्वायत्तशासी संगठनों की सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग।

<u>योजना का क्रियान्वयनः--</u>

इस योजना का संचालन विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के माध्यम से कराया जायेगा जिनके लिए निम्न पात्रता निर्धारित की जाती है।

<u>पात्रताः–</u>

(1) ऐसी समस्त शासकीय संस्थाएं, विश्वविद्यालय तथा स्वायत्तशासी संगठन जो कोचिंग एवं प्रशिक्षण की गतिविधियों में संलग्न हैं।

(2) निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय जो कोचिंग/प्रशिक्षण कार्य में संलग्न हैं।

(3) निजी क्षेत्र की ऐसी संस्थायें एवं संगठन जो रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का संचालन करते हैं अथवा कोचिंग/प्रशिक्षण प्रदान करते हैं ताकि निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हो सके। निजी क्षेत्र की संस्थाओं के अन्तर्गत न्यास (ट्रस्ट), कम्पनी, साझा फर्म, विधिसम्मत पंजीकृत समितियॉं, औद्योगिक संस्थान आदि सम्मिलित होंगे।

<u>वित्तीय सहायता हेतु निर्धारित पात्रताः–</u>

योजनान्तर्गत कोचिंग/प्रशिक्षण के लिए विभागीय वित्तीय सहयोग/सहायता प्राप्त करने हेतु संस्थान के लिए निम्न अर्हता निर्धारित की जाती हैं।

1-- संस्था में मानक के अनुरूप पर्याप्त संख्या में पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक योग्य प्रशिक्षक कार्यरत होने चाहिये।

2– संस्था में पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं यथाः परिसर,भवन,पुस्तकालय,उपकरण, कक्षा कक्ष उपलब्ध होनी चाहिये।

3– संस्था को प्रशिक्षण प्रदान करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक हैं।

4– कोचिंग संस्थाओं की न्यूनतम सफलता दर 15 प्रतिशत होनी चाहिये, सफलता दर 3 वर्ष की गतिशील औसत के आधार पर आकलित की जायेगी।

5– जिन कोचिंग संस्थान के छात्र प्रतिष्ठित विद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं उनको प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

<u>प्रक्रियाः–</u>

(1) निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिवर्ष 30 अप्रैल से पूर्व कोचिंग योजना के लिए संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा।

(2) निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए संस्था की तकनीकी/व्यवसायिक योग्यता तथा वित्तीय शर्तों का निर्धारण करेंगे।

(3) निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड संस्थाओं से निविदाओं को प्राप्त करने से पूर्व संस्थाओं की एक प्री–बिड कॉनफ्रेन्स कर कार्यक्रम की पूर्व रूपरेखा समझा सकते है।

(4) निदेशालय स्तर पर प्राप्त सभी प्रस्तावों का प्रारम्भिक परीक्षण किया जायेगा तदोपरान्त उन्हें चयन समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। चयन समिति निम्नवत गठित की जाती है।

1.	निदेशक, समाज कल्याण,उत्तराखण्ड।	अध्यक्ष
2.	वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, निदेशक समाज कल्याण।	सदस्य
3.	निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड।	सदस्य
4.	निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड।	सदस्य
5.	निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड।	सदस्य
6.	निदेशक, आइ0टी0डी0ए0 उत्तराखण्ड।	सदस्य

क्रमशः

Scanned by CamScanner

7. उप परियोजना निदेशक, जनजाति कल्याण निदेशालय — सदस्य
8. अपर निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक समाज कल्याण उत्तराखण्ड। — संयोजक/सदस्य

प्रशिक्षणार्थियों हेतु पात्रताः—

1— उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ऐसे छात्र जिनके परिवार की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय रू0 2.00 लाख से अधिक न हो, इस योजना के लिए पात्र होंगे।

2— व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक अर्जित करने वाले छात्र पात्र होंगे। छात्रों का अन्तिम चयन उनके द्वारा प्रशिक्षण हेतु वांछित न्यूनतम योग्यता परीक्षा में अर्जित प्राप्तांकों की वरीयता सूची के आधार पर किया जायेगा।

3— कोचिंग की निःशुल्क सुविधा एक छात्र को मात्र एक बार प्रदान की जायेगी। छात्र आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र देगा कि उसके द्वारा यह सुविधा प्रथम बार प्राप्त की जा रही है।

4— जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रारम्भिक एवं मुख्य दो परीक्षाएं निर्धारित हैं,उनमें छात्र को दोनों परीक्षाओं के लिए कोचिंग की सुविधा देय होगी। मुख्य परीक्षा हेतु कोचिंग उसी वर्ष देय होगी जिस वर्ष छात्र द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण की गई है।

5— चयनित छात्र को निरन्तर कोचिंग एवं प्रशिक्षण कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। यदि छात्र प्रशिक्षण प्रारम्भ के 15 दिन के अन्दर ही प्रशिक्षण छोड देता है तो छात्र पर किये गये समस्त व्यय की वसूली सम्बन्धित संस्थान से की जायेगी।

6— कोचिंग हेतु स्वीकृत संस्था के सापेक्ष 30 प्रतिशत स्थान उत्तराखण्ड की छात्राओं के लिए सुरक्षित रहेंगे। निर्धारित अर्हता/मानक को पूर्ण करने वाली छात्राओं के उपलब्ध न होने की दशा में ही इन स्थानों के सापेक्ष छात्रों का चयन किया जायेगा।

7— उत्तराखण्ड के विकलांग छात्र/छात्राओं हेतु 3 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू होगा।

वित्तीय सहायता (FUNDING)

1— प्रशिक्षण शुल्क का निर्धारण संस्थाओं के चयन हेतु गठित समिति के द्वारा तकनीकी/व्यवसायिक एवं प्रबंधकीय अर्हता रखने वाली संस्थाओं से प्राप्त वित्तीय दरों के तुलनात्मक विश्लेषण के उपरान्त किया जायेगा। समिति प्रशिक्षण शुल्क की तत्समय प्रचालित बाजार दरों की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी सक्षम एवं स्वतंत्र होगी, ताकि संस्थाओं के द्वारा निविदत्त दरों के औचित्य का परीक्षण भी हो सके। इस प्रकार विभिन्न विषयों/पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण की दरें एक ही समय भिन्न हो सकती है तथा एक ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण की दरें प्रतिवर्ष अलग हो सकती है।

2— प्रशिक्षण हेतु चयनित प्रत्येक छात्र को छात्रवृत्ति भी देय होगी जिसकी दर स्थानीय छात्रों के लिए रू0 750/—प्रतिमाह तथा प्रशिक्षण केन्द्र/मुख्यालय से बाहर के छात्रों हेतु रू0 1500/— प्रतिमाह छात्रवृत्ति निर्धारित की जाती है।

3— विभाग द्वारा धनराशि सीधे संस्थान के खाते में जमा करायी जायेगी। यह खाता इसी उद्देश्य के लिए पृथक से खोला जायेगा।

4— धनराशि आवंटन में प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5— धनराशि सम्बन्धित संस्थान को दो किस्तों में भुगतान की जायेगी। प्रथम किस्त का भुगतान संस्थान द्वारा प्रशिक्षण हेतु छात्रों के चयन एवं उनके नामों की सूची शासन को प्रस्तुत करने के साथ—साथ इन्टरनेट में प्रसारित करने के उपरान्त किया जायेगा।

6— दो वर्ष बाद संस्था को कोचिंग जारी रखने के लिए पुनः आवेदन करना होगा।

क्रमशः......5

Scanned by CamScanner

कोचिंग संस्थानों के लिए आवश्यक शर्तें:-

1- संस्थान प्रशिक्षण छात्रों का पूर्ण विवरण एक पंजिका में रखेगा जिसमं छात्र का नाम, पता, जाति, उम्र, लिंग, शैक्षिक योग्यता तथा बैंक एकाउन्ट दर्ज किया जायेगा।

2- कोचिंग प्रारम्भ होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर संस्था द्वारा कोचिंग हेतु पंजीकृत छात्रों का कोचिंग पाठ्यक्रमवार नाम, पता, टेलीफोन नम्बर तथा छात्र का फोटो विभाग को प्रेषित करना होगा।

3- छात्र को छात्रवृत्ति प्रतिमाह चैक के माध्यम सीधे उनके बैंक एकाउन्ट में स्थानान्तरित कर भुगतान किया जायेगा।

4- संस्थान द्वारा कोचिग शुल्क के लिए एक पृथक खाता खोला जायेगा जिसे समय-समय पर निरीक्षण के समय अवलोकित कराया जायेगा।

5- संस्थान गारन्टी देगा कि वह धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए करेगा जिसके लिये आवन्टित की गई है। यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो शासन को संस्थान से भुगतान की गई धनराशि को 18 प्रतिशत दण्ड ब्याज के साथ वसूलने तथा अन्य उचित दण्डात्मक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। धनराशि भू-राजस्व की भाँति वसूल की जायेगी।

6- कोचिग संस्था को छात्र से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा कि छात्र के द्वारा पूर्व में इस योजना अथवा इसी प्रकार की अन्य योजना जो शासन/विभाग द्वारा वित्तपोषित की गई थी, का लाभ नहीं लिया गया है। छात्र से इस आशय का बॉड भी भराया जायेगा कि यदि वह कोचिंग कार्यक्रम को अधूरा छोड देता है तो उस पर व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि की वसूली विभाग द्वारा कर ली जायेगी।

7- संस्थान शासन/विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों एवं नियमों के पालन की सहमति पत्र प्रस्तुत करेगा साथ ही एक बॉन्ड भी भरा जायेगा जिसमं दो जमानती जो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करने तथा आय-व्ययक का लेखा-जोखा रखने हेतु उत्तरदायी होंगे,के नाम उल्लिखित होंगे।

8- कोचिंग कार्यक्रम में केवल पात्र छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा। पात्र छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व छात्रों के चयन हेतु गठित समिति का होगा। इस समिति में संस्थान तथा विभाग के प्रतिनिधि सम्मिलित होगें।

9- संस्थान को पेमेन्ट करने हेतु वांछित समस्त कार्यवाही संस्थान द्वारा सुनिश्चित की जायेगी जिसके अन्तर्गत भुगतान प्राप्त करने वाले पक्ष का नाम, बैंक का आई एफ सी कोड, बैंक शाखा संख्या, बैंक शाखा का नाम तथा पता अंकित करते हुए एक अधिकार पत्र जारी करना संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। संस्थान द्वारा जारी इस अधिकार पत्र को बैंक शाखा के प्रबन्धक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा ताकि खाता संख्या की पुष्टि की जा सके। अधिकार पत्र एक वर्ष में एक बार भरा जायेगा । वर्ष के भीतर खाता नम्बर बदलने की दशा में अधिकार पत्र पुनः भरा जायेगा।

10- कोचिंग के तुरन्त बाद संस्थान विभाग को आवन्टित धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र तथा सी०ए० द्वारा सम्प्रेक्षित एक सत्यापित लेखा-जोखा निम्न प्रमाणपत्रों के साथ प्रस्तुत करेगा।

(अ) वर्ष के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि,भुगतान धनराशि,आय-व्यय विवरण एवं बैलेन्स शीट

(ब) स्वीकृत योजना हेतु अन्य किसी स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं की गई,सम्बन्धी प्रमाणपत्र।

11- संस्था को छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान हो जाने की पुष्टि करते हुए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

12- द्वितीय किस्त की धनराशि आवन्टन अथवा नये वर्ष में पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन की स्वीकृति हेतु आवेदन करने पर संस्थान को प्रथम किस्त अथवा पूर्व वर्ष जो भी स्थिति हो , में प्राप्त धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को प्रस्तुत करना होगा।

13- कोचिंग प्रदान करने हेतु संस्था को प्रारम्भ में 2 वर्ष के लिए चयनित किया जायेगा। तृतीय वर्ष के लिए संस्था को नये सिरे से अवेदन करना होगा। तृतीय वर्ष के लिए संस्था का नवीनीकरण संस्था द्वारा प्रथम वर्ष में प्राप्त कोचिंग की सफलता दर पर निर्भर करेगा। इस प्रकार संस्था को द्वितीय वर्ष के लिए नया आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

क्रमशः.....5

Scanned by CamScanner

14— संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि छात्रों को छात्रवृत्ति तथा संस्थान को शुल्क की धनराशि अवमुक्त करने में हुए विलम्ब के फलस्वरूप कोचिंग कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाये।

15— संस्थान अपनी वेबसाइट में विगत 3 वर्षो में प्रशिक्षित किये गये छात्रों के नाम,पते,कोचिंग पाठ्यक्रम,अनुकमांक,परीक्षा विवरण,परीक्षाफल तथा वर्षवार विवरण के साथ—साथ फैकल्टी स्टाफ उनकी योग्यता एवं संस्था के पास उपलब्ध आधारभूत अवस्थापना का विवरण प्रसारित करेगा। इसके साथ ही छात्रों को भुगतान की गई छात्रवृत्ति का विवरण भी प्रत्येक छात्र के नाम के सापेक्ष दर्शाया जायेगा।

छात्रों का चयन—

कोचिंग हेतु संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षणोंपरान्त विभाग द्वारा चयनित संस्था को सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की जायेगी। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित संस्था कोचिंग के लिए पात्र छात्रों से आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करायेगी। छात्रों से प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रारम्भिक जांच आदि का कार्य सम्बन्धित संस्था के द्वारा ही किया जायेगा। किन्तु कोचिंग के लिए निर्धारित स्थानों के सापेक्ष छात्रों का चयन समित के द्वारा किया जायेगा। चयन समिति निम्नवत गठित की जायेगी।

1.	निदेशक समाज कल्याण द्वारा नामित अधिकारी जो द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी से निम्न स्तर का नही होगा	अध्यक्ष
2.	संस्थाध्यक्ष/संस्थान का मुखिया	सदस्य
3.	विषय विशेषज्ञ	सदस्य
4.	संस्था के सचिव/कार्यालय सहायक/ कोचिंग विभाग का अध्यक्ष	संयोजक

चयन के उपरान्त सम्बन्धित संस्था चयनित छात्रों का पूर्ण विवरण जिसमें नाम, पता, जाति, लिंग तथा वार्षिक आय की सूचना विलम्बतम एक माह के भीतर निदेशक समाज कल्याण को उपलब्ध करायेगें।

अनुश्रवण(MONITORING) संस्थान द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण निम्नवत किया जायेगा:—

1— संस्थान निर्धारित प्रारूप पर सामयिक प्रगति विवरण मासिक एवं त्रैमासिक प्रस्तुत करेगा।

2— कोचिंग पूर्ण होने के उपरान्त संस्थान ऐसे छात्रों का विवरण प्रस्तुत करेगा जो कोचिंग के फलस्वरूप विभिन्न तकनीकी व्यवसायिक एवं विभिन्न सेवाओं हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रवेश एवं सफलता प्राप्त करेंगे।

3— राज्य सरकार के अधिकारी तथा विभागीय अधिकारी संस्थान का निरीक्षण करने हेतु अधिकृत होंगे।

उक्तानुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित संस्थानों से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार करते हुए योजना का संचालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक : *आवेदन पत्र का प्रारूप.*

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव एवं आयुक्त।

Scanned by CamScanner

कोचिंग संस्थान/संगठन द्वारा प्रशिक्षण के लिये आर्थिक सहायता/अनुदान प्राप्त करने हेतु निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप

(संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा भरा जायगा)

भाग–एक

1– संस्था का नाम,पता,दूरभाष संख्या,फैक्स नम्बर तथा ई.मेल आई.डी.

2– कोचिंग केन्द्र का पता व दूरभाष संख्या

3– संस्थ की श्रेणी (ट्रस्ट,व्यवसायिक,अलाभकारी,पंजीकृत समिति)

4– गठन की तिथि

5– पंजीकरण का विवरण (कम्पनी एक्ट/सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1860 ट्रस्ट या धर्मार्थ संगठन)

(अ) पंजीकरण का एक्ट जिसके तहत पंजीकृत किया गया है।

(ब) पंजीकरण की तिथि(पंजीकरण पत्र संलग्न करें)

(स) वैद्धता की तिथि

6–विगत तीन वर्षों की उपलब्धि का ब्यौरा

(अ) नवीन संस्थाओं हेतु

वर्ष	कुल प्रशिक्षित छात्रों की संख्या	सफल छात्रों की संख्या	सफलता का प्रतिशत
	(1) सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षा के लिये	(1)	(1)
	(2) तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा	(2)	(2)
	(3) निजी क्षेत्र में रोजगार हेतु	(3)	(3) औसत दर

(ब) वर्तमान में चालू कार्यक्रम (तृतीय वर्ष में आवेदन की स्थिति में)

वर्ष	प्रशिक्षणरत अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों की संख्या	सफल अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों की संख्या	सफलता का दर प्रतिशत में।
	(1) (2) (3)	(1) (2) (3)	(1) (2) (3)औसत दर

(स) वर्षवार कोचिंग प्रदत्त/प्रशिक्षित छात्रों का नाम,पिता का नाम,लिंग,जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता,स्थायी पता,दूरभाष संख्या तथा बैंक एकाउण्ट का विवरण

(टिप्पणीः– सूची तीनों प्रकार के प्रशिक्षण हेतु पृथक–पृथक बनाये)

7– कोचिंग केन्द्र का विवरण–

(अ) संक्षिप्त में उद्देश्य एवं गतिविधियां–

(ब) प्रबन्धकारिणी/बोर्ड/कार्यकारिणी का विवरण

क्रम संख्या	नाम	पता	व्यवसाय

(स) फैकल्टी सदस्यों का विवरणः–

क्र.सं.	नाम	योग्यता	अनुभव	विषय

(द) संस्था/संगठन का स्मृति पत्र (प्रति संलग्न करें)–

(य) संस्था द्वारा विगत तीन वर्षों में प्राप्त कोचिंग की उपलब्धि (वार्षिक रिपोर्ट संलग्न करें)

(र) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित आय–व्ययक एवं तुलन पत्र (Balance sheet) (संलग्न करें)

(ल) रू020/– के स्टाम्प पेपर पर इनडैमिनिटी बॉण्ड (Indemnity bond)

(व) अनुदान सीधे बैंक खाते में स्थानान्तरित करने हेतु अधिकार पत्र

(श) प्रमाणित किया जाता है कि संस्था द्वारा इस प्रयोजन हेतु किसी अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी स्रोत से अनुदान धनराशि प्राप्त नहीं की गई है।

क्रमशः.../ 7

Scanned by CamScanner

भाग–दो

1– संस्था के पास उपलब्ध सुविधाओं का विवरण:–

(अ) कक्षा कक्षों की संख्या

(ब) क्या संस्था का अपना भवन है अथवा किराये के भवन में संचालित है

(स) पुस्तकालय सम्बन्धी विवरण

2– कोचिंग के लिये उपलब्ध सुविधाएं:–

(अ) आडियो विजुअल यंत्र

(ब) श्रवण एवं दृष्टि यंत्र

(स) फोटोकापियर मशीन

(द) कम्प्यूटर्स

(य) अन्य(जो सम्बन्धित हो)

3– परीक्षा जिसके लिये अनुदान की मांग की गई है

4– कार्यक्रम की अवधि(आरम्भ तिथि एवं समाप्ति की तिथि का उल्लेख करें।)

5– प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रों की संख्या

वाह्य–

स्थानीय–

योग–

6– प्रत्येक परीक्षा हेतु प्रति छात्र सम्पूर्ण शुल्क की राशि:

परीक्षा	कोचिंग की अवधि	प्रस्तावित अनुसूचित जाति/जनजाति प्रशिक्षणार्थियों की संख्या		छात्रों हेतु देय भरणपोषण की कुल धनराशि वाहय छात्र हेतु रू01500/– प्रति तथा स्थानीय हेतु रू0750/–प्रति की दर से	कोचिंग शुल्क		योग कोचिंग एवं छात्रवृत्ति
		वाहय	स्थानीय		दर प्रति छात्र	धनराशि	

प्रमाणित किया जाता है कि योजना की शर्तें एवं नियमों का संस्था द्वारा भलीभॉति अध्ययन कर लिया गया है तथा सभी शर्तें एवं नियम संस्था को स्वीकार हैं।

स्थान:

तिथि–

हस्ताक्षर

सचिव/प्रबन्धक

संस्था नाम (मुहर)

टेलीफोन नं0

संलग्न प्रपत्र:–

1.

2

3

क्रमशः.........8 पर

Scanned by CamScanner

भाग–तीन

निरीक्षण आख्या

जिला समाज कल्याण अधिकारी/जनपद स्तरीय अधिकारी अथवा उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण का प्रारूप जिसे शासन को भेजा जायेगा।

1– संस्था का नाम एवं पता:

2– क्या निम्न विन्दुओं पर संस्था द्वारा दी गई सूचनाएं सही हैं

(अ) वर्णित सुविधाओं की उपलब्धता

(ब) स्टाफ/फैकल्टी सदस्यों की योग्यता एवं अनुभव

(स) विगत 3 वर्षो में कराये गये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

(द) वर्णित सफलता दर

सामान्य संस्तुति हेतु टिप्पणी:–

तिथि:–

स्थान:

निरीक्षणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम (मुहर)

******

Scanned by CamScanner